इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउटेंट ऑफ इंडिया एवं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट्स एवं वर्कर्स एकाउटेंट ऑफ इंडिया के प्रावधानों के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को कार्य में संलग्न करने की योजना

क. इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया
ख. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउटेंट ऑफ इंडिया
ग. इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट्स एवं वर्कस एकाउटेंट ऑफ इंडिया

के प्रशिक्षुओं को कार्य में संलग्न करने की योजना

1. उद्देश्य

आईसीएआई, आईसीडब्ल्यूएआई एवं आईसीएसआई के चयनित विद्यार्थियों को लघु अवधि के लिए औद्योगिक / प्रयोगात्मक/अपरेंटिस प्रशिक्षण प्रदान करना ।

2. प्रशिक्षुओं का चयन

चयन किए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या का निर्धारण आवश्यकता के आधार पर समय-समय पर प्रमुख (वित्त एवं लेखा)/प्रमुख (सीएस) के द्वारा प्रकार्यात्मक निदेशक के अनुमोदन से अग्रेषित किया जाएगा ।

चयन समिति तीन सदस्यों की होगी जिसका अध्यक्षता अपर महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी । कार्मिक एवं प्रशा./मा.सं.वि. का प्रतिनिधि उप महाप्रबंधक/अपर महाप्रबंधक स्तर से कम का नहीं होगा और इसका सदस्य वित्त / प्रमुख (सीएस) से उप महाप्रबंधक/अपर महाप्रबंधक के स्तर से नीचे का नहीं होगा ।

3. प्रशिक्षण का स्थान

प्रशिक्षण का स्थान टीएचडीसीआईएल का कारपोरेट कार्यालय या इसका किसी अन्य अविस्थिति में स्थित कार्यालय होगा ।

4. कार्य घंटें एवं छुट्टियां

प्रशिक्षु कार्यालय के सामान्य समय में उपस्थित होंगे एवं टीएचडीसीआईएल के कर्मचारियों के समान साप्ताहिक छुट्टी एवं अवकाश के पात्र होंगे ।

यदि उन्हें अवकाश/साप्ताहिक छुट्टी/कार्यालय अवधि के बाद कार्यालय के कार्य की आक्समिकता के लिए बुलाने की आवश्यकता पड़ती है तो वे किसी आर्थिक या उसके स्थान पर किसी और प्रकार की प्रतिपूर्ति के पात्र नहीं होंगे ।

5. छुट्टी

प्रशिक्षु विभागीय प्रशिक्षु/अप्रैन्टिस के लिए निगम के नियमों के अंतर्गत देयता के अनुसार छुट्टी के पात्र होंगे ।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रशिक्षु परीक्षाओं में उपस्थिति के उद्देश्य से बिना स्टाईपेंड के अधिकतम 02 माह की छुट्टी लेने के पात्र होंगे ।

6. टी ए नियम

प्रशिक्षण अवधि के दौरान किन्हीं दौरों के लिए प्रशिक्षु टीएचडीसीआईएल के टी ए नियमों, जैसे ई-2 श्रेणी के कर्मचारियों को देय हो, के द्वारा सुशासित होंगे ।

7. स्टाईपेंड

प्रशिक्षु 15000/- रु. के समेकित मासिक स्टाईपेंड या समय-समय पर यथासंशोधित के पात्र होंगे । वे समेकित मासिक स्टाईपेंड से ज्यादा अन्य वित्तीय लाभ के पात्र नहीं होंगे ।

8. आवास

टीएचडीसीआईएल उपलब्धता के अध्यधीन आवास के अनुरोध पर विचार कर सकती है ।

9. रोजगार का अधिकार

उपरोक्त व्यवस्था के माध्यम से प्रशिक्षुओं की संलग्नता, पाठ्यक्रम के भाग के रूप में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद टीएचडीसीआईएल में रोजगार पाने का अधिकार नहीं देती ।

सामान्य

उपर्युक्त के आवेदन संबंधित संस्थानों के द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप होंगे ।

इन नियमों की व्याख्या या इनके लागू होने में किसी प्रकार का संदेह एवं उपर्युक्त अनाच्छादित विशेष मुद्दों पर निदेशक(कार्मिक) का निर्णय अंतिम होगा ।